

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद-1

संख्या:बारह/ए-चिकित्सा निर्देश-2011

दिनांक:अक्टूबर ३ २०११

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,

पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषय:- उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2011।

चिकित्सा परिचर्या पर पूर्व निर्गत समस्त नियमों/शासनादेशों को अवक्षमित करते हुए अधिकृत नियम-2275/5-6-11-1082/87, दिनांक:20.09.2011 द्वारा "उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2011" तात्कालिक प्रभाव से प्रत्यापित की गयी है। उक्त नियमावली की हिन्दी एवं अंग्रेजी में, जिसकी छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

2. इस विषय के निम्न बिन्दु उल्लेखनीय हैं:-

- (1) नियम-20 द्वारा स्वीकृतकर्ता अधिकारी को प्रतिनिधित्वित वित्तीय अधिकार कार्यालयाध्यक्ष ₹0 1.00 लाख तक, विभागाध्यक्ष ₹0 2.50 लाख तक, सरकार का प्रशासकीय विभाग ₹0 5.00 लाख तथा ₹0 5.00 लाख से अधिक के दावे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संस्तुति के बाद और वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति से सरकार का प्रशासकीय विभाग को प्रदान किये गये हैं।
- (2) नियमावली के परिशिष्ट-'क' में अंकित प्रोफार्स में समस्त कर्मियों को 'हेल्थ कार्ड' प्राथमिकता के आधार पर तत्काल उपलब्ध कराया जाना है, ताकि समस्त कर्मियों द्वारा राजकीय चिकित्सालय में मुफ्त चिकित्सा की सुविधा प्राप्त की जी सके। 'हेल्थ कार्ड' में जहाँ फोटो चिपकानी है तथा कार्यालय की मोहर लगानी है वहाँ पर मोहर इस प्रकार लगाई जाए कि मोहर का कुछ 'हिस्सा' फोटो पर भी आए। 'हेल्थ कार्ड' राजकीय मृद्रवालय से मुद्रित कराये जा रहे हैं, शीघ्र ही आपको उपलब्ध कराये जाएं। 'हेल्थ कार्ड' के प्रथम पृष्ठ पर कार्यालयाध्यक्ष के सूक्ष्म हस्ताक्षर किये जाए तथा द्वितीय पृष्ठ पर यथा स्थान पर कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं मोहर होंगे। कार्ड का नमूना संलग्न है।
- (3) नियम-15 में निहित निर्देशों के अन्तर्गत 75 प्रतिशत चिकित्सा अग्रिम के रूप में स्वीकृत किया जाये तथा नियमावली के परिशिष्ट-'घ' में अंकित प्रारूप के अनुसार अग्रिम का रजिस्टर तैयार कराकर प्रत्येक प्रविष्टियों अनिवार्य रूप से अंकित किया जाये तथा प्रत्येक माह इसकी समीक्षा राजपत्रित अधिकारी द्वारा की जाये।
- (4) नियमावली के नियम-7(क) में अन्तः चिकित्सा हेतु वेतनमान के अनुसार कर्मी को अनुमन्य वार्ड।
- (5) नियम-16 में दावा प्रस्तुत करने की अवधि उपचार समाप्ति के 3 माह के अन्दर निर्धारित की गयी है।
- (6) नियम-18 में दावे के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेखों का विवरण।
- (7) नियम-19 में दावे के तकनीकी परीक्षण हेतु विस्तृत विवरण अंकित किये गये हैं। चिकित्सा दावों का सक्षम अधिकारी से तकनीकी परीक्षण कार्यालयाध्यक्ष स्तर से कराया जाएगा। इससे समस्त कर्मियों को सम्मेलन में अवगत करा दिया जाए।

(8) प्राइवेट अथवा विशिष्ट चिकित्सा संस्थानों में (प्रदेश के अन्दर व बाहर) उपचार की दशा में विसी प्रकार की अनियमितता न हो इसके लिए नियम 13 का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

3- नियमावली में निहित नियमों का अनुपालन करते हुए चिकित्सा अग्रिम उदारता पूर्वक स्वीकृत किये जायें। जिन प्रकरणों में जीवन रक्षा निधि से पूर्व में ही कोई अग्रिम स्वीकृत किया गया है तो स्वीकृत चिकित्सा अग्रिम से प्रथमतः जीवन रक्षा निधि का समायोजन कर लिया जाए।

4- नियमावली में निहित निर्देशों/नियमों के अनुसार चिकित्सा दावों का निस्तारण शीघ्र करके चिकित्सा अग्रिम का नियमानुसार समायोजन कर लिया जाये। चिकित्सा दावों का निस्तारण समय से सुनिश्चित कराना कार्यालयाध्यक्ष का उत्तरदायित्व होगा।

5- स्वीकृतकर्ता अधिकारी हेतु चेकलिस्ट:-


- (I) अनिवार्यता प्रमाण-पत्र पर उपचार अवधि अंकित है अथवा नहीं?
- (II) क्या दावा कालबाधित है? यदि हाँ तो स्वीकृति हेतु भेजने का औचित्य/कारण?
- (III) समस्त बिल/वाउचर की मूल प्रति सम्बन्धित चिकित्सक से सत्यापित है अथवा नहीं?
- (IV) अनिवार्यता प्रमाण-पत्र में रोग का नाम, रोगी का नाम, उपचार की अवधि तथा व्यय की गयी धनराशि अंकित है अथवा नहीं?
- (V) अनिवार्यता प्रमाण-पत्र में अंकित उपचार अवधि के अनुसार ही बिल/वाउचर संलग्न है अथवा नहीं?
- (VI) अनिवार्यता प्रमाण-पत्र उपचार करने वाले चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षरित तथा सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है अथवा नहीं?
- (VII) प्रतिहस्ताक्षरित अधिकारी द्वारा देय धनराशि अनिवार्यता प्रमाण-पत्र पर अंकित है अथवा नहीं? यदि हाँ तो कितनी?
- (VIII) लाभार्थी द्वारा कोई अग्रिम लिया गया है अथवा नहीं? यदि हाँ तो नियमानुसार समायोजन की कार्यवाही की जाए।
- (IX) पेशनर के मामले में सेवानिवृत्ति की तिथि, पी०पी०ओ० नम्बर, कोषागार का नाम अंकित है अथवा नहीं?

6- यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नियमावली के नियम-16 के अनुसार सेवानिवृत्ति कर्मी अपने गृह जनपद अथवा जहाँ से पेशन प्राप्त कर रहे हैं, वहाँ के कार्यालयाध्यक्ष को भी अपना तथा अपने आक्षितों का चिकित्सा दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। अतएव यह कार्यालयाध्यक्ष का उत्तरदायित्व है कि वह उनका चिकित्सा दावा प्राप्त कर समय-सीमा (नियम-17 के अनुसार) के अन्तर्गत उनका निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

7- अतएव कृपया इस नियमावली का भली भौति अध्ययन कर लें। नियमावली में निहित निर्देशों/नियमों के अनुसार चिकित्सा दावों का निस्तारण सुनिश्चित कराना कार्यालयाध्यक्ष का उत्तरदायित्व होगा।

8- कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

संलग्नक: (नियमावली हिन्दी व अंग्रेजी में 23 पृष्ठ)

  
(सुलखान सिंह)

अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय  
उत्तर प्रदेश।

# उत्तर प्रदेश पुलिस हेल्थ कार्ड

उत्तर प्रदेश सरकार

स्थास्थ-पत्रक

(भाग-2, नियम-6(क) देखें)

आवेदक के परिवार का  
प्रमाणित फोटो

संख्या-.....

नाम:- .....

जन्म का दिनांक:- .....

लिंग:- .....

पदनाम:- ..... विभाग का नाम:- .....

तैनाती का स्थान:- .....

आवासीय पता:- .....

मूल वेतन तथा वेतनमान/ पेशन:- .....

पृष्ठ-2 पर जारी

नामिनी का नाम:-.....

आश्रित परिवारिक सदस्यों का विवरण:-

क्रमांक	नाम	जन्म का दिनांक	आवेदक से सम्बन्ध
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
कुल संख्या			

दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालयाध्यक्ष के प्रतिहस्ताक्षर, मुहर सहित।



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—४, खण्ड (ख) खण्ड  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 20 सितम्बर, 2011

भाद्रपद 29, 1933 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

चिकित्सा अनुभाग-6

संख्या 2275/५-६-११-१०८२-८७

लखनऊ, 20 सितम्बर, 2011

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प०आ०-४९८

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विधय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिकमण करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011

भाग-एक

सामान्य

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक(चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011  
कही जायेगी।

संकेत नाम और  
प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2-यह नियमावली निम्नलिखित पर लागू होगी:-

प्रयोग्यता

(क) सभी सरकारी सेवक, जबकि वे कार्य पर हों, या अवकाश पर हों या निलम्बन  
के अधीन हों और उनके परिवार।

(ख) सेवानिवृत्त सरकारी सेवक और उनके परिवार और मृत सरकारी सेवकों के  
मामते में उनके परिवार के ऐसे सदस्यों जो परिवारिक पेशन के लिए पात्र हों।

वारेभाषाएँ

3-जब तक कि संदर्भ में, अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:-

(क) "ग्रामीणकृत चिकित्सा।परिचारक" का तात्पर्य किसी सरकारी चिकित्सालय के ऐसे चिकित्सा अधिकारियों या विशेषज्ञों से या संदर्भकर्ता संस्थाओं के ऐसे प्रवक्ताओं, उपचारों, आचारों या अन्य विशेषज्ञों से हैं जो किसी लाभार्थी को चिकित्सा परिचर्या और उपचार उपलब्ध कराने के लिए सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्रतिनियुक्त हो,

(ख) "लाभार्थी" का तात्पर्य सरकारी सेवक और उनके परिवार, सेवानिवृत्त सरकारी सेवक और उनके परिवार और मृत सरकारी सेवकों के मामले में उनके परिवार के ऐसे सदस्यों से हैं जो पारिवारिक रैंपशन के लिए पात्र हों,

(ग) "परिषद" का तात्पर्य यथाविहित कृत्यों के निर्वहन हेतु सरकार द्वारा जिला, मण्डल और राज्य रत्नर पर गठित चिकित्सा परिषद से है,

(घ) "निदेशक" का तात्पर्य निदेशक, (चिकित्सा परिचर्या) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय उत्तर प्रदेश से है,

(इ) "महानिदेशक" का तात्पर्य महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, उत्तर प्रदेश से है,

(ब) "परिवार का तात्पर्य":-

(एक) सेवा के सदस्य का, यथास्थिति, पति या पत्नी, और

(दो) माता-पिता, बच्चे, सौतेले बच्चे, अविवाहित/तलाकशुदा/ परिव्यक्त पुत्री, अविवाहित/तलाकशुदा/परिव्यक्त बहने, अवश्यक भाई, सौतेली माता,

(छ) "सरकार का तात्पर्य" उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है,

(ज) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

(झ) "सरकारी चिकित्सालय" का तात्पर्य या तो राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा चलाये जा रहे, या किसी चिकित्सा महाविद्यालय से सहबद्ध चिकित्सालय से है,

(ञ) "सरकारी सेवक" का तात्पर्य फाइनेंशियल हैण्ड बुक में यथाप्रभावित ऐसे पूर्णकालिक सरकारी सेवकों, जिसमें अखिल भारतीय सेवा के सदस्य भी हैं, से है जिनका वेतन राज्य के राजस्व से बहन किया जाता है, किन्तु इसमें अंशकालिक कर्मचारी, मौसमी/संचिदागत कर्मकार या दैनिक मजदूरी पर लगे कर्मकार सम्मिलित नहीं हैं,

(ट) "चिकित्सालय" का तात्पर्य ऐलोपैथिक या होम्योपैथी चिकित्सालय या भारतीय चिकित्सा पद्धति की डिस्पोर्टरी या स्वास्थ्य जांच और चिकित्सीय अन्वेषण हेतु प्रयोगशाला एवं केन्द्र से है,

(ठ) "चिकित्सा परिचर्या" का तात्पर्य रोग निदान और उपचार के प्रयोगनार्थ ऐसे चिकित्सीय परामर्श और परीक्षण एवं अन्वेषण की विधियों से है जो उपचारी चिकित्सक द्वारा आवश्यक समझी जाएं,

(ड) "चिकित्सा महाविद्यालय" का तात्पर्य, सरकार के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन किरी चिकित्सा पद्धति के चिकित्सा महाविद्यालय से है,

(ढ) "सेवानिवृत्त सरकारी सेवक" का तात्पर्य किसी सरकारी सेवक से है जो सेवा रो निवृत्त हो गया हो और सरकार से पैशन आहरित कर रहा हो। तथापि, इसमें वे सरकारी सेवक सम्मिलित नहीं हैं जो राज्य सरकार की सेवा छोड़ने के पश्चात् किसी स्वशासी संस्था/उपक्रम/निगम आदि में आमेलित हो गये हों,

(ण) "संबंधित करने वाली संस्था" का तात्पर्य सभी राजकीय चिकित्सालय महाविद्यालय, छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय(रो०एस०एग०एम०ग००), लखनऊ, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान(एस०जी०पी०जी०आई०एम०एस०), लखनऊ, ३० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ, ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफ़ाई, इटावा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वाराणसी (बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय), जवाहर लाल नेहरू डिपिक्ट्स महाविद्यालय, (जलीगढ़ बुरिलम विश्वविद्यालय), अलीगढ़ और सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित किसी अन्य संस्था से है,

- (त) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है,
- (थ) "उपचारी चिकित्सक" का तात्पर्य आयुर्विज्ञान की किसी पद्धति के यथाविहित अर्हतायुक्त चिकित्सक से है, जो लाभार्थी का वास्तव में उपचार करता है,
- (द) "उपचार" का तात्पर्य सभी उपभोग कन्यूमेबल एवं उपभोग पश्चात् त्यज्य डिस्पोजेबल, चिकित्साय एवं शल्य सुविधाओं के उपयोग और परीक्षण की विधियों और निदान के प्रयोजनार्थ अव्यवेषण से है और इसमें अंग प्रत्यारोपण, औषधियाँ, सेरा, वैक्सीन, अन्य थेराप्यूटिक सामग्रियों की आपूर्ति, विहित जीवन रक्षक प्रक्रियाएँ या चिकित्सालय में भर्ती होना और देखरेख भी सम्मिलित है।

## भाग-2

### सरकारी चिकित्सालयों और चिकित्सा महाविद्यालयों/संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान/छत्रपति शाहजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय में उपचार

4-सामस्त लाभार्थी किसी सरकारी चिकित्सालय, या चिकित्सा महाविद्यालय में निःशुल्क चिकित्सा परिचार्या और उपचार पाने के हकदार होंगे। सामान्यतया यह सुविधां लाभार्थी के निवास या तैनाती के स्थान पर उपलब्ध कराई जाएगी। चिकित्सा परिचार्या और उपचार के लिए पंजीकरण फीस और अन्य विहित फीस सरकार द्वारा पूर्णतया प्रतिपूरित की जायेगी। आपात मामलों में, यदि परिस्थितियों की अपेक्षा हो तो, एन्डलेन्स भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी।

5-किसी सरकारी चिकित्सालय या चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सा परिचार्या और उपचार के लिए प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक से किसी संदर्भ की आवश्यकता न होगी।

6-(क) किसी लाभार्थी को निःशुल्क चिकित्सा उपचार तभी उपलब्ध होगा जब उसके द्वारा परिशेष्ट-क में दिये गये प्रारूप पर कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं मुहर से निर्गत एवं संख्यांकित स्वास्थ्य-पत्र के माध्यम से अपनी पहचान का प्रमाण प्रस्तुत किया जायेगा। इस पत्र पर लगे फोटो पर कार्यालय की मुहर इस प्रकार लगायी जायेगी कि फोटो और पत्र दोनों पर मुहर आंशिक रूप से लगी हो।

परन्तु, किसी पेशनभोगी व्यक्ति के लिए उसका पत्र नाम, तैनाती का स्थान, मूल वेतन और वेतनगमन, उसकी सेवानिवृत्ति/मृत्यु से पूर्व उसकी अतिम तैनाती के अनुसार हो, किन्तु स्वास्थ्य कार्ड उसके द्वारा पेशन आहरित किये जाने के स्थान पर स्थित उसके सेवा के विभाग के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्गत किया जायेगा।

(छ) स्वास्थ्य पत्र में अपेक्षित किसी विवरण का न होना उसे अविधिमान्य घोषा देगा। तथापि, यदि परिचार के किन्हीं सदस्यों के बारे में कोई विवरण घूटा हो तो केवल वही सदस्य अपात्र होगे और वह पत्र शेष लाभार्थियों के लिए विधिमान्य होगा।

7-(क) किसी सरकारी चिकित्सालय या चिकित्सा महाविद्यालय में अंतरंग उपचार के मामले में सभी लाभार्थियों को निम्नलिखित वास सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी:-

निःशुल्क चिकित्सा  
सेवाओं की  
हकदारी

संदर्भ अपेक्षित न  
होगा

स्वास्थ्य पत्र के  
माध्यम से पहचान

वास सुविधा

क्रमांक	मूल वेतन + ब्रेड वेतन	वार्ड जिनके लिये लाभार्थी हकदार होगा
1.	₹ 19000/- या अधिक	निजी या विशेष वार्ड
2.	₹ 13000/- से अधिक और ₹ 19000/- से कम	संशुल्क वार्ड
3.	₹ 13000/- या कम	सामान्य वार्ड

परन्तु किसी पेशनभोगी द्वारा आहरित अतिम मूल वेतन को हकदारी के अवधारण के लिए मूल वेतन माना जायेगा तथापि कोई पेशनभोगी ऐसी सेवाओं से अनिम्नतर सेवाओं के लिए हकदार होगा जो कि वह अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व पाता रहा है।

परन्तु अग्रतर यह भी कि किसी लाभार्थी के अनुरोध पर उसकी वास्तविक हकदारी से बेहतर वास सुविधाएँ उपलब्ध कराये जाने की दशा में उसको अतिरिक्ता व्यय रखने वहन करना होगा।

(ख) चिकित्सा अवधि में रोगी को आहर शुल्क अनुमन्य होगा किन्तु यह सम्बन्धित सरकारी चिकित्सालय में तत्समय प्रधोन्य शुल्क से अधिक नहीं होगा।

अन्य स्रोतों से  
औषधियों आदि की  
आपूर्ति

8-किसी लाभार्थी के उपचार के लिए औषधियाँ, यथा सेरा, वैक्सीन, रक्त, अन्य थेराप्यूटिक सामग्रियों की आपूर्ति या चिकित्सीय, अन्वेषण यथा सोनोग्राफी, कम्प्यूटराइज्ड एक्सिरायल टोमोग्राफी स्कैनिंग, एन्डोस्कोपी, ऐन्जिओग्राफी, रेडियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल और बैकटीरियोलॉजिकल जौँच या कोई अन्य जौँच, जो आवश्यक समझी जाय, अन्य सरकारी या निजी स्रोतों से उपलब्ध कराई जायेगी, यदि उपचारी चिकित्सक द्वारा लिखित में यह प्रमाणित करते हुए कि ऐसी औषधियाँ या सुविधाएँ सरकारी चिकित्सालय या चिकित्सा महाविद्यालय में उपलब्ध नहीं हैं, ऐसा अवधारित और विहित किया जाय। किसी मधुमेह रोगी के मामले में, जिसे एक दिन में एक से अधिक बार इन्तुलिन विहित किया गया हो, डायग्नोस्टिस किट(निदान यंत्र) की लागत, प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक की सलाह पर अनुमन्य होगी :

प्रतीबन्ध यह है कि प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक उपचारी चिकित्सक द्वारा ऐसी खर्चाली दबाइयाँ, जिनके लिए कम लागत की किन्तु समान थेराप्यूटिक महत्व की औषधियाँ उपलब्ध हों या ऐसी दबाइयाँ जो खाद्य वस्तुओं, टानिक, प्रसाधन के रूप में प्रयुक्त हों या एंटीसेटिक या निजी रक्त बैंक से रक्त के लिए सामान्य रूप से परामर्शित नहीं किया जायेगा।

कृत्रिम अंग

9-(क) उपचारी चिकित्सक की संस्तुति पर और चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक के अनुमोदन से, वहे जिस भी पदनाम से वह जाना जाय, निम्नलिखित कृत्रिम अंग और साधित्र अनुमन्य किये जा सकते हैं:-

1. आर्थिपेडिक प्रोस्टीसिस हिप
2. प्रोस्टीसिस फार नी ज्वाइंट
3. सरवाइकल कालर्स
4. कार्डियोक पेस मेकर
5. कार्डियोक वाल्व
6. आर्टिफिशियल वोकल वाक्स
7. हिपरिंग एड/कॉकिलर इम्प्लान्ट
8. इन्ट्राओव्यूलर लेन्स रीइम्प्लान्ट
9. थेराप्यूटिक कार्टैकट लेन्स
10. कप्लीट आर्टिफिशियल डेन्चर (सम्पूर्ण कृत्रिम दंतावली)
11. स्पेक्टेकल्स(चश्मे)(तीन वर्षों में एक बार से अनधिक)
12. निःशक्त के उपयोग के लिए कृत्रिम अंग, जो शामिल करते हुए साधित्र
13. सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य साधित्र

(ख) उपर्युक्त कृत्रिम अंगों और साधित्रों की आपूर्ति विशेषित्यों या निर्माण, नाम इत्यादि करते हुए उपचारी चिकित्सक को लिखित सलाह परं की जायेगी।

10-कोई लाभार्थी भुगतान करने पर संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक संस्थान, लखनऊ के छत्रपति शाहजहां महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में बिना संदर्भ के उपचार प्राप्त कर सकता है। चिकित्सा परिचार्या या उपचार पर किया गया व्यय विहित रीति में बावें के प्रस्तुतीकरण पर पूर्ण प्रतिपूरणीय होगा।

एस030ी030ी030  
आई0/सी0प्रा0  
एमएमप्रू मै  
उपचार

## भाग-तीन

यात्रा पर आपातकालीन स्थिति में उपचार और विशिष्ट उपचार

11-किसी लाभार्थी को राज्य के भीतर या बाहर तात्कालिक/आपात स्थिति में किसी निजी चिकित्सालय में उपचार प्राप्त करने की अनुमत्यता होगी। उपचार की लागत राज्य के भीतर उपचार करने की दशा में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान और राज्य से बाहर की दशा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की दरों पर प्रतिपूरणीय होगी। प्रतिबन्ध यह है कि:-

तात्कालिक/  
आपातकालीन  
उपचार

(क) उपचारी चिकित्सक द्वारा आपात दशा प्रभाग्नि हो जाए।

(ख) रोगी द्वारा अपने कार्यालयाध्यक्ष को यथाशक्य शीघ्र किन्तु उपचार प्रारंभ होने के दिनांक से 30 दिनों के भीतर सूचित कर दिया जाय।

(ग) आपात स्थिति में एअर एम्बुलेन्स पर होने वाले व्यय की धनराशि भी प्रतिपूरणीय होगी।

12-कार्यालय कार्य से अन्य राज्यों को गये सरकारी सेवक सम्बन्धित राज्य के सरकारी चिकित्सालय में चिकित्सा परिचर्या और उपचार पाने के हकदार होंगे और उस पर उपगत हुआ वास्तविक व्यय पूर्णतया प्रतिपूरणीय होगा:

यात्रा पर उपचार

प्रतिबन्ध यह है कि चिकित्सा महाविद्यालयों, संस्थानों या निजी चिकित्सालयों में कराये गये उपचार पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की दरों पर होगी।

13-(क) जटिल और गम्भीर बीमारियों के उपचार के लिए, जिनके लिए सरकारी चिकित्सालय या संदर्भित करने वाली संस्थाओं में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है, संदर्भित करने वाली संस्था के आचार्य या विभागाध्यक्ष से अन्यून श्रेणी के उपचारी चिकित्सक द्वारा उपचार और चिकित्सा परिचर्या के लिए रोगी को ऐसे निजी चिकित्सालय या संस्था को जिसे राज्य अधिकारी ने सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो संदर्भित किया जा सकता है।

निजी चिकित्सालय  
में विशिष्ट उपचार

प्रतिबन्ध यह है कि यदि इस प्रकार संदर्भित किसी रोगी को तात्कालिक/आपात स्थिति के कारण संदर्भित से भिन्न किसी अन्य चिकित्सालय में उपचार कराना पड़ता है तो नियम 11(ग) लागू नहीं होगा।

(ख) ऐसे निजी चिकित्सालय या संस्था में उपचार पर व्यय की प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय या राज्य के भीतर उपचार के लिए संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ की दरों या राज्य के बाहर हुए उपचार के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की दरों तक, जो भी कम हो, सीमित होगी।

(ग) ऐसे उपचार या जाँच जिनके लिए संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में सुविधा विद्यमान न हो, पर हुए व्ययों की प्रतिपूर्ति वास्तविक आधार पर की जायेगी, प्रतिबन्ध यह है कि उपचार देश के भीतर कराया गया हो।

मान्यता प्राप्त  
भारतीय चिकित्सा  
पद्धतियों द्वारा  
उपचार

14-सरकारी चिकित्सालय के बाहर होम्योपैथी, यूनानी या आयुर्वेद पद्धति या किसी अन्य विहित भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में सुविधा विद्यमान न हो, पर हुए व्ययों की प्रतिपूर्ति वास्तविक आधार पर की जायेगी, प्रतिबन्ध यह है कि उपचार देश के भीतर कराया गया हो।

## भाग-चार

सरकारी सेवकों के लिए चिकित्सा अधिग्रहण

15-(क) उपचार के लिए प्रतिपूर्ति के दावे को स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी, चिकित्सा अधिग्रहण प्रावक्तित धनराशि के प्रधात्तर प्रतिशत तक अधिग्रहण स्वीकृत करने के लिए सक्षम होगा।

(व) अग्रिम के लिए आवेदन परिशिष्ट "ख" में दिये गये विहित प्रारूप पर कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा और उसके साथ उपचारी चिकित्सक द्वारा निर्गत तथा संस्था के प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षक/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालय के विभागाध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताशरित प्रावकलन संलग्न किया जायेगा।

(ग) कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करेगा कि स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा यथाशीघ्र अग्रिम स्वीकृत कर दिया जाए।

(घ) कर्मचारी समायोजन/प्रतिपूर्ति दावा इसके उपयोग किये जाने के तत्काल पश्चात्, किन्तु उपचार समाप्त हो जाने के तीन माह अपश्चात्, प्रस्तुत करेगा।

(ङ) किसी भी रित्यति में दूसरा अग्रिम तब तक स्वीकृत नहीं किया जायेगा जब तक कि पूर्ववर्ती अग्रिम समायोजित न कर लिया गया हो।

(च) प्रत्येक स्वीकर्ता प्राधिकारी परिशिष्ट "घ" में यथाविहित प्रारूप और रीति में एक रजिस्टर रखवायेगा।

(छ) आहरण एवं वितरण अधिकारी अग्रिम हेतु बिल (बीजक) पर प्रमाणक देगा कि स्वीकृत अग्रिम की ऐसे रजिस्टर में प्रविष्ट कर ली गयी है।

(ज) यदि अग्रिम के समायोजन के लिए चार महीनों के भीतर दावा नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो अग्रिम की सम्पूर्ण धनराशि लाभार्थी के वेतन से मासिक किश्तों में काट ली जायेगी जो सकल वेतन के आधे से अधिक नहीं होगी।

(झ) यदि चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत हो जाने के पश्चात् उपचार नहीं प्रारम्भ होता है तो ऐसे अग्रिम की वापरी तीन महीनों में जीनी होगी और यदि ऐसे अग्रिम की वापरी तीन माह की अवधि के भीतर नहीं की जाती है तो दण्डात्मक व्याज भी आरोपित किया जायेगा जिसकी गणना चिकित्सा अग्रिम की स्वीकृति के दिनांक से की जायेगी।

#### भाग-पाँच

##### प्रतिपूर्ति

तीन महीनों के भीतर दावा 16-लाभार्थी द्वारा स्वीकर्ता प्राधिकारी को, यथाशक्य शीघ्र किन्तु उपचार की समाप्ति के पश्चात् तीन माह से अपश्चात् परिशिष्ट "ग" में दिये गये विहित प्रारूप में प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत किया जायेगा।

बीजक के साथ संदर्भ-पत्र, उपचार परामर्श पत्रक और उपचारी चिकित्सक द्वारा विधिवत् सम्बन्धित किये गये वाउचर और परिशिष्ट "ड" में (बहिरंग उपचार) और परिशिष्ट "च" (अंतरंग उपचार) में अनिवार्यता प्रमाण-पत्र-मूल रूप में प्रस्तुत किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में दावे को पुष्ट करने के लिए अन्य मूल दस्तावेज भी संलग्न किये जा सकते हैं। अपूर्ण दावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी पेशनभोगी का प्रतिपूर्ति दावा उस जिले के कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा जहाँ से वह पेशन आहरित कर रहा है। जहाँ ऐसा कोई कार्यालय न हो वहाँ सम्बन्धित जिले का जिला भविस्ट्रेट इस प्रयोजनार्थ कार्यालयाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष भी होगा।

17-(क) स्वीकर्ता अधिकारी या पेशनभोगी के मामले में कार्यालयाध्यक्ष दावा प्रस्तुत किये जाने के दिनांक से दस दिनों के भीतर तकनीकी परीक्षण के लिए सक्षम प्राधिकारी को भेजेगा। सम्बन्धित प्राधिकारी, सम्पूर्ण तकनीकी परीक्षण करने के पश्चात् वाराविक प्रतिपूर्णीय धनराशि इगत करते हुए उस दावे को पन्द्रह दिनों के भीतर, यथास्थिति, स्वीकर्ता प्राधिकारी या कार्यालयाध्यक्ष को वापस कर देगा।

(ख) जब तक कि कृतिपय आपत्तियाँ न उठायी गयी हों और संसूचित न की गयी हों, स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के दिनांक से 01 माह के भीतर प्रतिपूर्ति आदेश जारी किया जायेगा और आहरण एवं वितरण अधिकारी आगले 15 दिनों के भीतर उसका वास्तविक भुगतान सुनिश्चित करेगा। पेश-नभोगी के मामले में, यदि कार्यालयाध्यक्ष स्वीकर्ता प्राधिकारी न हो तो, वह तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट के साथ प्रतिपूर्ति दावे को सात दिनों के भीतर स्वीकर्ता प्राधिकारी को अप्रसारित कर देगा जो भुगतान के लिए उपर्युक्त समय-सारिणी का अनुसरण करेगा।

18-रवीकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रतिपूर्ति की अनुमति तभी दी जायेगी जबकि परिशिष्ट "ग" में दिये गये विहित प्रारूप पर निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ दावा प्रस्तुत किया जाए:

प्रतिपूर्ति के लिए  
अनिवार्य दस्तावेज

(क) उपचारी चिकित्सक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित और चिकित्सालय के प्रभारी अधीक्षक, चाहे जिस नाम से जाना जाय, द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अनिवार्यता प्रमाण-पत्र।

(ख) उपचारी चिकित्सक द्वारा विधिवत् सत्यापित सभी बिलों, संदर्भ पत्र, प्रेस्क्रिप्शन पत्रों, और वाउचरों की मूल प्रतियाँ।

(ग) सक्षम प्राधिकारी द्वारा तकनीकी परीक्षण की रिपोर्ट।

(घ) विशेष परिरक्षितों में दावे को सिद्ध करने के लिए कोई अन्य दस्तावेज भी मूल रूप में संलग्न किये जा सकते हैं।

(ङ) अपूर्ण दावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

19-तकनीकी परीक्षण के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नवत् होंगे:-

तकनीकी परीक्षण  
के लिए सक्षम  
प्राधिकारी

दावे की धनराशि	सक्षम प्राधिकारी
(एक) ₹40000/- तक	उपचारी या संदर्भकर्ता सरकारी चिकित्सालय/आयुर्वेदिक, यूनानी/और होम्योपैथी सरकारी चिकित्सालय का प्रभारी चिकित्साधिकारी/अधीक्षक।
(दो) ₹40001/- से अधिक	उपचारी या संदर्भकर्ता सरकारी चिकित्सालय का चिकित्सक/अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला होम्योपैथी चिकित्साधिकारी या क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी।
(तीन) निजी चिकित्सालयों में विशिष्ट उपचार हेतु	संदर्भकर्ता संस्था के आचार्य या विभागाध्यक्ष से अन्यून श्रेणी के उपचारी चिकित्सक द्वारा जैसा नियम 13(क) में उपबोधित है।

(छ) सक्षम प्राधिकारी दावे की विधि मान्यता/अनिवार्यता और अनुमन्यता का तकनीकी परीक्षण करेगा और प्रतिपूर्ति हेतु अनुमन्य धनराशि शब्दों और अंकों दोनों में संस्तुत करेगा।

स्वीकर्ता प्राधिकारी

20-उपचार हेतु प्रतिपूर्ति दावा स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नवत् होंगे:-

(क) सरकारी सेवकों के लिए :-

दावे की धनराशि	स्वीकर्ता प्राधिकारी
₹100000/- तक	कार्यालयाध्यक्ष
₹100000/- से अधिक- ₹250000/- तक	विभागाध्यक्ष
₹250000/- से अधिक - ₹500000/- तक	सरकार का प्रशासकीय विभाग
₹500000/- से अधिक	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संस्तुति के बाद और विल विभाग की पूर्व स्वीकृति से सरकार का प्रशासकीय विभाग।

(ख) सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के लिए:-

दावे की धनराशि	स्वीकर्ता प्राधिकारी
₹100000/- तक	सक्षम तकनीकी परीक्षण अधिकारी की संस्तुति के पश्चात् पेशन आहरित करने वाले जनपद का कार्यालयाध्यक्ष।
₹100000/- से अधिक- ₹500000/- तक	सक्षम तकनीकी परीक्षण अधिकारी की संस्तुति के पश्चात् पेशन आहरित करने वाले जनपद के कार्यालयाध्यक्ष वा. माध्यम से जिलाधिकारी।
₹500000/- से अधिक	सक्षम तकनीकी परीक्षण अधिकारी की संस्तुति के पश्चात् पेशन आहरित करने वाले जनपद के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यथामाध्यम प्रशासकीय विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रशासकीय विभाग के माध्यम से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संस्तुति एवं विल विभाग की पूर्व स्वीकृति के पश्चात् प्रशासकीय विभाग।

व्यवहार का कोषागार  
"शीर्ष"

21-प्रतिपूर्ति की धनराशि उसी "शीर्ष" से आहरित की जायेगी जिससे सामान्यतया वेतन, भत्ता और पेशन आदि आहरित किये जाते हैं।

भाग-छ:

पकीर्ण

यात्रा और राहगर

22-(क) यदि कोई प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक किसी रोगी को उच्चतर/विशिष्ट उपचार के लिए, जिसके लिए जिला/राज्य में सुविधा उपलब्ध नहीं है, किसी चिकित्सालय को संदर्भित करता है तो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक की विशिष्ट लिखित सलाह पर ऐसा उपचार करने के लिए यात्रा की अनुमति दी जा सकती है।

(ख) बीमारी की गार्भीता पर विचार करते हुए यदि प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक लिखित में यह संस्तुति करता है कि रोगी को किसी परिचारक द्वारा अनुरक्षित किया जाना है, तो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नाम सहित किसी परिचारक के लिए अनुमति दी जा सकती है जो सामान्यतः रोगी का सम्बन्धी होगा।

(ग) रोगी और परिचारक, यदि कोई हो, अपनी सरकारी यात्रा के हकदारी की सीमा तक अपने निवास से उपचार के स्थान तक निकटतम रेल मार्ग से जाने और वापस आने की ऐसी यात्रा हेतु यात्रा भत्ता पाने का हकदार होगा, किन्तु वायुयान द्वारा यात्रा करने पर कोई ऐनिक भत्ता अनुमत्य नहीं होगा भले ही लागार्डी उसके लिए हकदार है या था।

(घ) जटिल बीमारी की दशा में प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक की लिखित संस्तुति पर सरकार वायुयान द्वारा यात्रा की अनुमति दे सकती है।

समय-सीमा

23-सामान्यतया यात्रा तीन माह के भीतर प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए अन्यथा विभागीय सचिव का अनुमोदन अनिवार्य होगा जो मामले के गुणदोष के आधार पर दबे की प्रतिपूर्ति का विनिश्चय करेगा।

अधिक भारतीय सेवा  
के सदस्य

24-यह नियमावली अधिक भारतीय सेवा के सदस्यों पर उन मामलों में लागू होगी जहाँ अधिक भारतीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 1954 के प्रावधान इस नियमावली से निन्मतर हैं।

वाह्य सेवा

25-यदि कोई सरकारी सेवक वाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति पर सेवारत हो तो उसे इस नियमावली के अधीन अनुमत्य से निन्मतर चिकित्सा सुविधा नहीं प्राप्त होगी और चिकित्सा परिचर्या तथा उपचार पर हुआ व्यवहार नियोक्ता द्वारा वहन किया जायेगा और पैतृक विभाग द्वारा नहीं किया जायेगा।

निरसन और  
अपवाद

26-समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 1946 और इस संबंध में निर्गत किये गये सभी सरकारी आदेश निरसित हो जायेंगे। तथापि, प्रतिपूर्ति के लिए हकदारी उनसे कम नहीं होगी जो इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व अनुमत्य थी।

कठिनाई का  
नियकरण

27-यदि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 के उपबन्धों के प्रवर्तन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकती है जो इस नियमावली से असंगत न हो और कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक और सभीचौं प्रतीत हों।

निर्वचन और  
शिथिलीकरण

28-(क) यदि इस नियमावली के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न होती है तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर निर्णय अनितम होगा।

(ख) जहाँ राज्य सरकार का समाधान हो जाए कि चिकित्सा परिचर्या की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम या उसके अधीन निर्वत आदेश से किसी विशिष्ट मामले में कोई असम्भव कठिनाई उत्पन्न होती है, वहाँ वह, उस मामले में लागू नियम या आदेश में किसी वात के होते हुए भी उस नियम या आदेश की अोक्षाओं को उस रोगा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए आदेश द्वारा वह अभियुक्त या शिथिल कर सकती है जैसा मामले के न्यायोचित और साम्यपूर्ण रीति से निस्तारण के लिए आवश्यक समझे।

आज्ञा से,  
संजय अग्रवाल,  
प्रमुख सचिव।

परिशिष्ट 'क'

उत्तर प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य-पत्रक

[भाग दो, नियम-6(क) देखें]

संख्या-.....

आवेदक के परिवार का प्रमाणित फोटो

कार्यालयाध्यक्ष की मुहर

नाम:- ..... जन्म का दिनांक ..... लिंग.....

पदनाम..... विभाग का नाम .....

तैनाती का स्थान-.....

आवारीय पता-.....

मूल वेतन तथा वेतनमान/पेंशन-.....

नामिनी का नाम-.....

आकृति पारिवारिक सदस्यों का विवरण-

क्रमांक	नाम	जन्म का दिनांक	आवेदक से सम्बन्ध
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
कुल संख्या			

दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर  
कार्यालयाध्यक्ष के प्रतिहस्ताक्षर, मुहर सहित।

**परिशिष्ट "ख"**

(भाग चार, नियम-15 "ख" देखें)

उपचार हेतु अग्रिम के लिए आवेदन का प्रारूप

1. आवेदक का नाम-
2. पंद्रहाम-
3. तैनाती का स्थान-
4. कार्यालयाध्यक्ष-
5. मूल वेतन-
6. स्वास्थ्य पत्रक संख्या-
7. रोगी का नाम-
8. कर्मचारी से सम्बन्ध-
9. बीमारी का नाम(जिससे पीड़ित है)-
10. व्यय की धनराशि-.....

(उपचारी चिकित्सक द्वारा तैयार तथा विकित्सालय के अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित व्यय-अनुमान संलग्न है)

11. अपेक्षित अग्रिम की धनराशि

दिनांक:.....

(कर्मचारी के हस्ताक्षर)

नाम:

पंद्रहाम

## परिशिष्ट "ग"

(भाग-पाँच-नियम-16 तथा 18 देखें)

सेवा में,  
कार्यालयाध्यक्ष का नाम,

.....

विषय: चिकित्सा उपचार पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति।

महोदय,

मैं ..... /मेरे पारिवारिक सदस्य(नाम).....  
 ने ..... (बीमारी का नाम) के लिए .....  
 (दिनांक) से ..... तक ..... (चिकित्सालय का नाम) में उपचार  
 करवाया है। मैं निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्रतिपूर्ति के लिए दावा प्रस्तुत कर रहा हूँ:-

1. उपचारी चिकित्सक/चिकित्सालय के अधीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित/प्रतिहस्ताक्षरित अनिवार्यता प्रमाण-पत्र।
2. उपचारी चिकित्सक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित एवं सत्यापित मूल नकद पर्ची(केश मेमो), बीजक(बिल), वाउचर।
3. यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित पारिवारिक सदस्य मुझ पर पूर्णतया आश्रित है।

मेरे उपचारार्थ ..... के पत्र संख्या ..... दिनांक .....  
 ..... द्वारा स्वीकृत रु0 ..... के अधिग्रहण का समायोजन करने के पश्चात्  
 मेरे दावे की प्रतिपूर्ति के लिए यथा आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

दिनांक.....

अधिकारी/कर्मचारी का नाम

पदनाम:

तैनाती का स्थान-

उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 20 सितम्बर, 2011

## परिशिष्ट "घ"

[भाग-चार-नियम-15 (च) देखें]

चिकित्सा परिचारक के लिए अधिग्रामों की पंजी

क्रम.सं.	सरकारी सेवक का नाम और पदनाम	अधिग्राम की स्थीरकृति के लिए शासनादेश का दिनांक और संख्या	स्थीरकृत अधिग्राम की धनराशि	अधिग्राम के आहरण का दिनांक और वाउचर संख्या	प्रतिपूर्ति दावा में प्रस्तुतीकरण की देय अवधि
1	2	3	4	5	6

कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष के कार्यालय में प्रतिपूर्ति दावा की प्राप्ति का वास्तविक दिनांक	अधिग्राम की प्रतिपूर्ति दावा वसूली के भुगतान के लिए की गई कार्यवाही का विवरण	प्रतिपूर्ति दावा की स्थीरकृति के आदेश की संख्या और दिनांक	प्रतिपूर्ति के लिए स्थीरकृत धनराशि	समायोजन के लिए यदि कोई हो, अधिग्राम की अवशेष धनराशि
7	8	9	10	11

ट्रेजरी चालान की संख्या और दिनांक अधिग्राम की अवशेष धनराशि के लिए जमा की गयी धनराशि, यदि कोई हो।	समायोजन की विल संख्या और दिनांक	चेकिंग के पश्चात् आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर	अमुक्ति
12	13	14	14